इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 615] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 नवम्बर 2018—कार्तिक 24, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. ए-3-62-2017-1-पांच (99).— भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

**राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017), जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है, की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और परिषद् की सिफारिशों पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-62-2017-1-पांच-(102) दिनांक 15 सितंबर, 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्गों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ऐसे व्यक्ति' कहा गया है) विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट होगी--**

**(i) ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे हस्तशिल्प माल का अन्तरराज्यिक कराधेय प्रदाय कर रहे हैं, अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-23-2018-1-पांच(69) दिनांक 27 जुलाई, 2018, द्वारा प्रकाशित की गई थी, के "स्पष्टीकरण"में परिभाषित है और अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद के अधीन आते हैं और जिनका विवरण उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (3) में कि तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है;या**

(ii) ऐसे व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित नाम पद्धति (एचएसएन) कूट की सुमेलित पद्धति के उत्पादों की अंतर्राज्यिक कराधेय प्रदाय कर रहे हैं के, जब शिल्पकारों द्वारा उत्पाद का प्रमुख रूप से निर्माण हाथ द्वारा किया जाए, तथापि इस प्रक्रिया में कुछ मशीनों का भी उपयोग किया जा सकेगा :-

सारणी

| क्र.सं. | उत्पाद | एचएसएन कोड |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी हैं) | 4201, 4202, 4203 |
| 2 | उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत सन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं) | 4415, 4416 |
| 3 | उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं) | 4419 |
| 4 | उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद | 4420 |
| 5 | काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन | 4421 |
| 6 | बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं) | 46 |
| 7 | तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियां, पेटियां | 4601, 4602 |
| 8 | कागज मेश की वस्तुएं | 4823 |
| 9 | टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद) | जिनके अंतर्गत 50, 58, 62, 63 भी हैं |
| 10 | टैक्सटाइल हस्तमुद्रण | 50, 52, 54 |
| 11 | जरी धागा | 5605 |
| 12 | कालीन, रग और दरी | 57 |
| 13 | टैक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी | 58 |
| 14 | थिएटर पोशाक | 61, 62, 63 |
| 15 | कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं) | 5705, 9404 |
| 16 | चमड़े का जूता | 6403, 6405 |
| 17 | उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं) | 6802 |
| 18 | प्रस्तर जड़ाऊ कार्य | 68 |
| 19 | मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है | 6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914 |
| 20 | धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन) | 7418 |
| 21 | अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियां, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस | 8306 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | धातु बिदरीवेयर | 8306 |
| 23 | संगीत वाद्य यंत्र | 92 |
| 24 | सींग और अस्थि उत्पाद | 96 |
| 25 | शंख सीपी शिल्प वस्तुएं | 96 |
| 26 | बांस फर्नीचर, केन/बेंत के फर्नीचर | 94 |
| 27 | गुड़िया और खिलौने | 9503 |
| 28 | लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि | 97 |

परंतु ऐसे व्यक्ति अधिसूचना सं. 03/2018-एकीकृत कर, तारीख 22 अक्टूबर, 2018 का लाभ उठा रहे हैं ।

परंतु यह और कि अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले ऐसे प्रदायों का संकलित मूल्य उस संकलित आवर्त की रकम से अधिक नहीं होगा जिसके ऊपर कोई प्रदायकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 के स्पष्टिकरण के खंड (iii) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है ।

2. पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित ऐसे व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनसार ई-वे बिल सृजित करेंगे ।

3. यह अधिसूचना दिनांक 23-10-2018 को प्रकाशित हुई मान्य की जाएगी।

3. यह अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित हुई मान्य की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अरूण परमार**, उपसचिव.

क्र. एफ ए-3-62-2017-1-पांच.— भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-62/2017/1/पांच (99), दिनांक 15/11/2018, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अरूण परमार**, उपसचिव.

No. F A-3-62-2017-1-V (99):— Bhopal the 15th November 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), hereinafter referred to as the "said Act", the State Government, on the recommendations of the Council and in supersession of the notification of this department No. F A 3-62/2017/1/V(102) dated the 15th September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby specifies the categories of casual taxable persons (hereinafter referred to as 'such persons') who shall be exempted from obtaining registration under the said Act-

(i) such persons making inter-State taxable supplies of handicraft goods as defined in the "*Explanation*" in notification No. FA 3-23-2018-1-V(69), dated the 27th July, 2018 and falling under the Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item specified in column (2) of the Table contained in the said notification and the Description specified in the corresponding entry in column (3) of the Table contained in the said notification;

or

(ii) such persons making inter-State taxable supplies of the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonised System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process:-

**Table**

| Sl. No. | Products | HSN Code |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Leather articles (including bags, purses, saddlery, harness, garments) | 4201, 4202, 4203 |
| 2. | Carved wood products (including boxes, inlay work, cases, casks) | 4415, 4416 |
| 3. | Carved wood products (including table and kitchenware) | 4419 |
| 4. | Carved wood products | 4420 |
| 5. | Wood turning and lacquer ware | 4421 |
| 6. | Bamboo products [decorative and utility items] | 46 |
| 7. | Grass, leaf and reed and fibre products, mats, pouches, wallets | 4601, 4602 |
| 8. | Paper mache articles | 4823 |
| 9. | Textile (handloom products) | including 50, 58, 62, 63 |
| 10. | Textiles hand printing | 50, 52, 54 |
| 11. | Zari thread | 5605 |
| 12. | Carpet, rugs and durries | 57 |
| 13. | Textiles hand embroidery | 58 |
| 14. | Theatre costumes | 61, 62, 63 |

| | | |
|---|---|---|
| 15. | Coir products (including mats, mattresses) | 5705, 9404 |
| 16. | Leather footwear | 6403, 6405 |
| 17. | Carved stone products (including statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand) | 6802 |
| 18. | Stones inlay work | 68 |
| 19. | Pottery and clay products, including terracotta | 6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914 |
| 20. | Metal table and kitchen ware (copper, brass ware) | 7418 |
| 21. | Metal statues, images/statues vases, urns and crosses of the type used for decoration of metals of Chapters 73 and 74 | 8306 |
| 22. | Metal bidriware | 8306 |
| 23. | Musical instruments | 92 |
| 24. | Horn and bone products | 96 |
| 25. | Conch shell crafts | 96 |
| 26. | Bamboo furniture, cane/Rattan furniture | 94 |
| 27. | Dolls and toys | 9503 |
| 28. | Folk paintings, madhubani, patchitra, Rajasthani miniature | 97 |

Provided that such persons are availing the benefit of notification No. 03/2018 – Integrated Tax, dated the 22 October, 2018.

Provided further that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State or Union territory in accordance with sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to that section.

2. Such persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.

3. This notification shall deemed to have published on ...23-10-2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.